DR Krishnadeo kumar bharti
Assistant professor (G.T)
Dept of Politicl Science
C.M.j College Donwarihat
Khutauna, Madhubani
Emil-----Kdkbharti08@gmil.com
B.A Part--1 Date---03-07-2020.
Mo.No--9234999361.

न्याय से आप क्या समझते हैं?न्याय धारणा के विभिन्न रुपों का वर्णन करें।
What do you mean by lustice? Explain its various forms.

न्याय कानून का अंतिम पथ-प्रर्दशक है और कानून वह बुनियादी तकनीक है जिसके द्वारा न्याय की प्राप्ति हो सकती है।न्याय शब्द यूनानी भाषा के डिकैरोसीन *(Dikaiosyne)* शब्द का रूपांतरण है।यह डिकैरोसीन शब्द अंग्रेजी के जस्टिस शब्द से अधिक व्यापक है।प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक मे न्याय की सही और न्यायसंगत परिभाषा दी है।इस शब्द को परिभाषित करने के पहले प्लेटो से पूर्व प्रचलित परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है।न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक माँग है।बार्कर के शब्दों में "न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उस कर्तव्य का पालन जो उसके प्राकृतिक गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल है। नागरिक को अपने धर्म की चेतना तथा सार्वजनिक जीवन में उसकी अभिव्यंजना ही राज्य का न्याय है।"

ऑगस्टाइन के अनुसार- "न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित माँग करता है।भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में मनु ,कौटिल्य, वृहस्पति, शुक्र ,भारद्वाज तथा सोमदेव आदि द्वारा राज्य की व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।"

वस्तुतः न्याय समाज दर्शन की एक ऐसी बुनियादी धारणा है जिसपर सामाजिक चिंतन के प्रारम्भ से विचार होता रहा है।आधुनिक न्यायशास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की वह कल्पना है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ समन्वय स्थापित किया गया हो।संक्षेप में, न्याय का अर्थ समाज के व्यापक कल्याण की सिद्धि है।न्याय की धारणा के प्रमुखतः दो आधार है--स्वतंत्रता तथा समानता।

न्याय की धारणा के विभिन्न रूप *(Various forms of the concept of justice)*--

परम्परागत रूप में न्याय की दो धारणाएँ प्रचलित रही हैं--नैतिक और कानूनी।परन्तु वर्त्तमान स्थिति में न्याय ने बहुत अधिक व्यापकता प्राप्त कर ली है और कानूनी या राजनीतिक न्याय की अपेक्षा सामाजिक और आर्थिक न्याय अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।मुख्यतया न्याय की धारणा के विविध रूप निम्नांकित हैं:--

1. नैतिक न्याय*(Moral justice)*--नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व के कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं।इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। नैतिक न्याय के अन्तर्गत सत्य बोलना, प्राणिमात्र के प्रति दया का बर्ताव करना, प्रतिज्ञा पूरी करना या वचन का पालन करना, शामिल किया जा सकता है।

2. कानूनी न्याय *(Legal justice)*--राज्य के उद्देश्यों में न्याय को काफी अधिक महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को न्याय व्यवस्था कहा जाता है।कानूनी न्याय में वे सभी नियम और कानूनी व्यवहार सम्मिलित हैं जिसका अनुसरण किया जाना चाहिए।इस प्रकार कानूनी न्याय की धारणा दो अर्थों में प्रयुक्त होती है।

*1.*कानूनों का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होने चाहिए*2.* कानूनों को लागू करना अर्थात बनाये गये कानूनों को न्यायोचित ढ़ंग से लागू किया जाना चाहिए।कानून का उल्लंघन करनेवालों को दण्डित करने में किसीभी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए।

3. राजनीतिक न्याय *(Political lustice)*--राज्य व्यवस्था का प्रभाव समाज के सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता ही है।अतः सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे राज्य व्यवस्था को लगभग समानरुपेण प्रभावित कर सके और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग ऐसे ढ़ंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो।प्रजातंत्रिक व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के कुछ अन्य साधन भी है जिनमें प्रमुख हैं- वयस्क मताधिकार, सभी व्यक्तियों के लिए विचार,भाषण, सम्मेलन और संगठन बनाने आदि की नागरिक स्वतंत्रताएँ, प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक पद पर प्राप्त होना।

4. सामाजिक न्याय*(Social lustice)*--सामाजिक न्याय के बिना समानता तथा स्वतंत्रता के आर्दश बिल्कुल निस्सार हो जाते है।अतः सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि नागरिक नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद नहीं माना जाय और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। वर्त्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत अधिक लोकप्रिय है और सामाजिक न्याय पर बल देने के कारण ही विश्व के करोड़ों लोगों द्वारा माक्र्सवाद या समाजवाद के अन्य रूप को अपना लिया गया।

5. आर्थिक न्याय *(Economic lustice)*--आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का एक अभिन्न अंग है।आर्थिक न्याय का ताप्पर्य यह है कि सम्पत्ति सम्बन्धी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाय और कुछ धनी मानी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाय या उसके जीवन पर अनुचित अधिकार स्थापित कर लिया जाय।

भारतीय संविधान में न्याय के आर्दश की वहीं भूमिका है जो मंदिर में मंगलकलश की होती है।संविधान की प्रस्तावना मे भी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना संविधान का लक्ष्य धोषित किया गया है।संविधान के अनुच्छेद*19* द्वारा नागरिकों को *6*स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई है।संविधान के तीसरे भाग*(*मौलिक अधिकार*)*चौथे भाग*(*राजा के नितिनिर्देशक तत्व*)*मे सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु विविध उपायों का उल्लेख किया गया है।संविधान के अनुच्छेद*14,15,16,17,23,24* द्वारा सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी संविधान के नितिनिर्देशत तत्वों मे विविध कार्य करने का निर्देश दिया गया है।

परम्परागत न्याय*(Traditional lustice)*

आगे, धन्यवाद।

2020-07-03
© From vivo Note

Scanned with CamScanner